राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2169/2010/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–ई, जयपुर
(पूर्व में वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त द्वितीय, जयपुर) ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आशीष फ्लैक्सेज एण्ड केमीकल्स
मै. डायनेमिक इंजीनियर्स, एफ–260, रोड नं. 13,
वी.के.आई.एरिया, जयपुर ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.कुमार
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.06.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 713/आरएसटी/अति.आ.(अपील्स)/01–02 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत वर्ष 1999–00 हेतु पारित आदेश दिनांक 07.12.2001 में कायम की गई मांग राशि को आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आलोच्य अवधि के चारो बिक्री प्रपत्र प्रस्तुत किये। व्यवहारी द्वारा तृतीय व चतुर्थ तिमाही बिक्री प्रपत्र 141 दिन विलम्ब से पेश किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 61 के तहत शास्ति रू 1410/– आरोपित की। व्यवहारी द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों को घोषणा पत्र सी के समर्थन में आलोच्य अवधि में रू0 15,98,257/– की सुपर एनामल्ड एल्यूमिनियम वायर रू0 22,32,115/– की डीपीसी वायर की व कॉपर वायर की बिक्री, बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत की। व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना,1998 डेफरमेंट (विस्तार) के तहत मै. डायनेमिक इंजीनियरिंग में प्रमाण पत्र सं. 1/14 दिनांक 04.11.99 द्वारा दिनांक 09.12.98 से ग्यारह

लगातार.....2

वर्ष की अवधि के लिए तथा राशि रू 13,59,000/– जो भी पहले का लाभ स्वीकृत था जो कि प्रथम वर्ष में देय कर का 100 प्रतिशत स्वीकृत था तथा दिनांक 09.12.99 से की गई बिक्री पर 90 प्रतिशत लाभ स्वीकृत था। व्यवहारी द्वारा इस मद में की गई बिक्री 4 प्रतिशत से कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखा–पुस्तकों एवं दस्तावेजों की जांच पर यह पाया कि व्यवहारी द्वारा एल्यूमिनियम वायर व डीपीसी एल्यूमिनियम कॉपर वायर की बिक्री, बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत दर्शायी जबकि व्यवहारी को एसीएसआर कण्डक्टर्स, सुपर एनामल्ड वायर की बिक्री पर ही प्रोत्साहन योजना का लाभ स्वीकृत है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने यह कहकर असहमति जाहिर की कि व्यवहारी को जिला स्तरीय छानबीन समिति के पत्र क्रमांक 9659 दिनांक 27.09.99 के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसमें 'एसी एण्ड एसीएसआर कण्डक्टर्स, सुपर एनामल्ड वायर'' पर ही लाभ स्वीकृत है अन्य उत्पादों पर नहीं। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने सुपर एनामल्ड वायर रू 15,98,257/– में से रू 12,16,042/– की बिक्री दिनांक 08.12.99 तक तथा रू 3,82,215/– की बिक्री दिनांक 09.12.99 से 31.03.00 तक की थी। अतः दिनांक 08.12.99 तक की बिक्री पर 4 प्रतिशत कर तथा दिनांक 9.12.99 से 31.12.2000 तक की बिक्री पर 3.6. प्रतिशत कर आरोपित करते हुए स्वीकृत लाभ में से कम किया तथा 09.12.99 से 31.03.2000 तक बिक्री पर 0.40 प्रतिशत कर वसूल योग्य आरोपित किया। व्यवहारी द्वारा डीपीसी एल्यूमिनियक व कॉपर वायर की बिक्री रू 22,32,115/– को प्रोत्साहन योजना के तहत अस्वीकार कर 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया। व्यवहारी द्वारा इस बिक्री को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना में त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्शाकर करापवंचन की मनोदशा प्रदर्शित की जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 9 के तहत शास्ति रू 1,78,570/– आरोपित की। व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान देय कर की तुलना मे कर राशि रू0 50,228/– राजकोष में कम जमा कराये जिस पर ब्याज रू 25,681/– आरोपित किया। इसके अतिरिक्त मासिक कर विलम्ब से जमा कराये जाने पर ब्याज रू 30,184/– आरोपित किया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.12.2001 द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध कर रू 89,284/–, शास्ति रू 1,79,980/– एवं ब्याज रू 55,865/– कुल योग रू 3,25,129/–की मांग कायम की गयी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19.03.2010 द्वारा व्यवहारी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा इस अपील में कर रू0 89,284/–, ब्याज रू0 55,865/– व शास्ति रू0 1,79,980/– को विवादित किया गया है।

लगातार.....3

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत नहीं बताते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कहॉ कि प्रमाण पत्र में जिन वस्तुओं पर डेफरमेन्ट का लाभ देय होना अंकित है उन्हीं वस्तुओं पर लाभ दिया जा सकता है, उनसे भिन्न वस्तओं पर लाभ नहीं दिया जा सकता। इन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील मियाद बाहर है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित नहीं है क्योंकि शपथ पत्र प्रमाणित नहीं है तथा न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी अपील के इस दोष को दूर नहीं किया है। इन्होंने आगे कथन किया कि व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना,1998 के तहत करमुक्ति का लाभ स्वीकृत किया गया था जिसमें एल्यूमीनियम एसीआर एण्ड एसीएसआर एवं सुपर इनेमल्ड एल्यूमीनियम वायर शामिल थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे करमुक्ति का लाभ देय इसलिए नहीं दिया क्योकि व्यवहारी ने पेपर स्लीप चढाकर विक्रय किया है जो अलग वस्तु नहीं है। मात्र वायर पर स्लीप चढा देने से अलग वस्तु का निर्माण नहीं होता है। व्यवहारी ने एल्यूमीनयिम कण्डक्टर (एसीआर) तथा एल्यूमीनियम स्टील कण्डक्टर (एसीएसआर) पर पेपर स्लीप चढा करके विक्रय किया है जो अलग वस्तु नहीं हे। विद्वान अभिभषक ने यह भी कथन किया कि व्यवहारी को कर मुक्ति का लाभ उसके द्वारा किये गये उत्पादों पर किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने इस पर न तो कोई जांच की और न ही भिन्न वस्तु होने के संबंध में कोई कारण भी अंकित नहीं किया, मात्र कर निर्धारण अधिकारी के कायस पर आधारित है। अतः व्यवहारी की लेखा पुस्तकों में सभी संव्यवहार दर्ज हैं एवं केवल मात्र बहस योग्य मुद्दा उठाने से ही शास्ति आरोपणीय नहीं है। इन्होंने राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. अधिनियम की धारा 83(5) के अनुसार कर बोर्ड अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कारणों की संतुष्टि के आधार पर क्षमा कर सकता है। अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नियम 31 में दी हुई है। इन प्रावधानों में सत्यापित शपथ पत्रों का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि प्रार्थना पत्र या अपील सत्यापित करना ही पर्याप्त है। प्रकरण में देरी क्षमा करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है जो सत्यापित है। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है, संतोषजनक होने के कारण देरी क्षमा योग्य है। अतः देरी क्षमा की जाकर अपील अन्दर मियाद शामिल की जाती है।

लगातार.....4

8. विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी को डेफरमेन्ट हेतु जारी प्रमाण पत्र में **एएसी एवं एसीएसआर कन्डक्टर्स, सुपर एनामल्ड वायर** अंकित है जबकि व्यवसायी द्वारा इन वस्तुओं के अलावा **एल्यूमिनियम वायर एवं डीपीसी एलयूमिनियम कॉपर वायर** की भी बिक्री की गई है जिन पर कर निर्धारण अधिकारी ने डेफरमेन्ट का लाभ इस आधार पर नहीं दिया है कि ये दोनों वस्तुएँ प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुओं से भिन्न वस्तुएँ है। अपीलीय अधिकारी ने प्रमाण पत्र में अंकित एवं बिक्रीत विवादित वस्तुओं को समान वस्तुएँ माना है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ सं. 143 पर अवलोकनीय डेफरमेन्ट प्रमाण पत्र में **एएसी एवं एसीएसआर कन्डक्टर्स, सुपर एनामल्ड वायर** अंकित है। बिक्रीत विवादित वस्तुओं **एल्यूमिनियम वायर एवं डीपीसी एलयूमिनियम कॉपर वायर** पर लाभ के संबंध में जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में व्यवहारी ने यह कथन किया है कि एल्युमिनियम वायर को समान्य भाषा में एएसी एवं एल्यूमिनियम विद कॉपर एवं स्टील वायर को सामान्य भाषा में एसीएसआर कन्डक्टर्स कहते है। डीपीसी का तात्पर्य एएसी व एएसीएसआर को पेपर कोटेड करना है। कर निर्धारण अधिकारी ने जवाब के आधार पर जॉच या परीक्षण नहीं किया है कि वस्तुएँ समान है या अलग–अलग। जवाब अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने निर्णय में यह कथन किया है कि विद्धान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क एवं केवल मात्र वायर पर पेपर स्लीप चढा देने से अलग वस्तु का निर्माण नहीं होता, अपील स्वीकार की है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि प्रमाण पत्र में अंकित वस्तुए व बिक्रीत वस्तुए समान है या अलग–अलग। इस प्रकार विवाद के निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाये कि वे व्यवहारी के जवाब के आधार पर इस तथ्य की जॉच कर व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देते हुए यह अवधारित करें कि प्रमाण पत्र में अंकित वस्तु एवं विक्रीत वस्तु समान है या अलग–अलग एवं तद्नुसार करारोपण के संबंध में नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय उपरोक्तानुसार विवादित बिन्दु की सीमा तक निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहारी के जवाब के आधार पर इस तथ्य की जॉच कर व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देते हुए यह अवधारित करें कि प्रमाण पत्र में अंकित वस्तु एवं विक्रीत वस्तु समान है या अलग–अलग एवं तद्नुसार करारोपण के संबंध में नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

27/06/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य